# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

## पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 10/2020

**अपीलान्ट्स :–**

1. भवीया उर्फ भपाराम पुत्र परबाजी
2. मोवीया पुत्र परबाजी
3. श्रीमती चुन्नी बेवा परबाजी
4. रामा पुत्र परबाजी

   तमाम जातियान मेघवंशी, निवासीगण भरूडी, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर

**बनाम**

**रेस्पोडेन्ट्स :–**

1. अमराराम पुत्र आम्बाजी, जाति लुहार, निवासी तवरा, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर
2. गीलसिंह पुत्र सवाजी, जाति राजपुत, निवासी भरूडी के कायम मुकाम :–

   2/1 दीवा कंवर बेवा गीलसिंहजी

   2/2 भंवरसिंह पुत्र गीलसिंहजी

   2/3 राजेन्द्रसिंह पुत्र गीलसिंहजी

   2/4 छगनसिंह पुत्र गीलसिंहजी, तमाम जातियान राजपुत, निवासी भरूडी, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर

   2/5 जमु कंवर पुत्री गीलसिंह पत्नी धनसिंह, जाति राजपुत, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल, जिला जालोर

   2/6 अन्तरी कंवर पुत्री गीलसिंह पत्नी रणजीतसिंह, जाति राजपुत, निवासी सणपर, तहसील सिरोही, जिला सिरोही
3. फुलसिंह पुत्र सवाजी
4. धनसिंह पुत्र सवाजी
5. झालसिंह पुत्र सवाजी
6. डुगरसिंह पुत्र सवाजी
7. जोगसिंह पुत्र सवसिंहजी
8. रसाल कंवर पत्नी सवसिंहजी, जातियान राजपुत, निवासीगण भरूडी, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर
9. पबसिंह पुत्र भुरसिंहजी के कायम मुकाम :–

   9/1 हरीसिंह पुत्र पबसिंह

   9/2 नारायणसिंह पुत्री पबसिंह, जातियान राजपुत, निवासी भरूडी, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

9/3 कैलाश कंवर पुत्री पबसिंह पत्नी मंगलसिंह, जाति राजपुत, निवासी रेवतडा, तहसील सायला, जिला जालोर

9/4 फिल्म कंवर पुत्री पबसिंह पत्नी छोटुसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी कावतरा, तहसील भीनमाल, जिला जालोर

9/5 रसाल कंवर बेवा पबसिंह, जाति राजपुत, निवासी भरूडी, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर

10. दुर्गसिंह पुत्र भुरसिंह
11. मोहन कंवर बेवा भुरसिंह
12. तेजसिंह पुत्र मोडसिंह
13. शैतानसिंह पुत्र मोडसिंह, जातियान राजपुत, निवासीगण भरूडी, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर
14. अन्तर कंवर पत्नी मोडसिंहजी के कायम मुकाम :–

14/1 तेजसिंह पुत्र मोडसिंह

14/2 शैतानसिंह पुत्र मोडसिंह, जातियान राजपुत, निवासी भरूडी, तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर

14/3 अणस कंवर पुत्री मोडसिंह पत्नी आसुसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी भरूडी, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर

14/4 एवन कंवर पुत्री मोडसिंह पत्नी दलपतसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी पादरू, तहसील सिवाणा, जिला बाडमेर

14/5 गणेश कंवर पुत्री मोडसिंह पत्नी जबरसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी पादरू, तहसील सिवाणा, जिला बाडमेर

14/6 धाप कंवर पुत्री मोडसिंह पत्नी डुंगरसिंह, निवासी नारवाडा, तहसील सायला, जिला जालोर

14/7 भमर कंवर पुत्री मोडसिंह पत्नी कोलसिंहजी, निवासी पादरू

15. जबरसिंह पुत्र मालसिंहजी
16. विजयसिंह पुत्र मालसिंह
17. अभयसिंह पुत्र मालसिंह
18. गंगासिंह पुत्र मालसिंह
19. दरिया कंवर पत्नी मालसिंहजी के कायम मुकाम :–

19/1 जबरसिंह पुत्र मालसिंह

19/2 विजयसिंह पुत्र मालसिंह

19/3 अभयसिंह पुत्र मालसिंह

19/4 गंगासिंह पुत्र मालसिंह जातियान राजपुत, निवासीगण भरूडी, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर

19/5 गुलाब कंवर पुत्री मालसिंहजी पत्नी उकसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी शिवगढ, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर

20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जसवंतपुरा, जिला जालोर (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थित :–**

1. श्री पारसमल बराडा विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 19 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 20 की ओर से से
4. रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से ...

**:– निर्णय :–**

दिनांक :– 20-07-2021

अपीलान्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा मुख्यालय भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 175/2014 बअनवान अमराराम बनाम गीलसिंह वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22/03/2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय को रेंकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा भरूडी के वर्तमान खसरा नम्बर 305, रकबा 0.94 हेक्टर, किस्म चाही उतम की वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 19 की सामलाती खातेदारी व कब्जा कास्त की आई हुई है जिसमें स्वयं की 0.1880 हैक्टर की भूमि बंट में आती है इसी मुताबिक 20 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से बंटवाडा कर दिया था प्रतिवादीगणों को कई बार बंटवाडा करने हेतु निवेदन किया लेकिन विभाजन नही करवाया जिस पर वाद पेश किया। वाद प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगणो को समन तामिल हेतु भेजे गये, लेकिन तामिल नही होने पर दिनांक 28/04/2016 को समाचार पत्र में तलबी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जो दिनांक 19/07/2016 को स्वीकार हुआ। दिनांक 22/08/2016 को कोर्ट उपस्थित न होने पर दिनांक 01/09/2016 को वास्ते मुनासिफ आदेश रखी गई तदनुसार दिनांक 01/09/2016 को एकपक्षीय आदेश पारित कर दिनांक 30/11/2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उसके बाद दिनांक 22/03/2017 को प्रतिवादीगणो को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में किसी प्रकार की मौका विभाजन्न प्रस्ताव तहसीलदार से नही मंगवाया जाकर वादी के पक्ष में निर्णय व अंतिम डिक्री विधि के मुलभूत सिद्धान्तो के परे जाकर पारित की है। जबकि सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रतिवादीगणो को सर्वप्रथम साधारण सम्मन, उसके बाद रजिस्टर्ड डाक से सम्मन और यदि दोनो प्रक्रियाओ के बाद तामिल नही होता है तो अखबार में छाया करवाना आवश्यक है लेकिन ऐसा न कर सीपीसी के प्रावधानो के विपरित जाकर एकपक्षीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अंतिम डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दोनो पक्षो को उचित समय एवं सूचना दिया जाना आवश्यक था एवं दोनो पक्षकारानो को मौका रिपोर्ट या फर्द बनाते समय लिखित या मौखिक सूचना देकर फर्द बनाते, जबकि तहसीलदार मौके पर न जाकर केवल मात्र पटवारी हल्का ने वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलकर एकपक्षीय ऑफिस में बैठकर ही भू.अभि.नि. ने मौका फर्द बनाई,उस पर न तो पटवारी के हस्ताक्षर है एवं न ही तहसीलदार के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में भू.अभि.नि. द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट संदिग्ध है किसी भी पक्षकार के वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को छोडकर हस्ताक्षर नही है। दिनांक 29/06/2016 की आदेशिका में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत में बिराजने का कथन है परन्तु उक्त लोक अदालत भरूडी में हुई हो वहां पर पक्षकारान उपस्थित हुआ हो, ऐसा कोई उल्लेख आदेशिका में नही है। आदेशिका में कांट छांट कर निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने वादपत्र में 20 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विभाजन होने का कथन किया परन्तु अन्य सहखातेदार का कहा का कब्जा है वह स्पष्ट नही किया। मात्र अच्छी भूमि को हडपने की नियत से स्वयं का हिस्सा वाद पत्र में बताकर केवल मात्र वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हक हिस्सा कायम किया जाकर बाकी सहखातेदारो का संयुक्त कब्जा बताकर अंतिम डिक्री व निर्णय पारित करवाया है जो कि पूर्णतया विधिसम्मत नही है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22/03/2017 को खारिज फरमाया जाकर हम अपीलान्ट्सगण का हिस्सा कायम किया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 19 को साधारण नोटिस भेजे गये, अदम तामिल होने पर दुबारा अदालत हाजा के द्वारा पुनः रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे गये, रजिस्टर्ड डाक की रसीदे पत्रावली के साथ में संलग्न है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 19 को उक्त अपील की जानकारी होने के बावजूद भी गैर हाजिर रहे एवं न्यायालय में हाजिर नही हुये जिस पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 21 राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं अपनी बहस में अपीलान्ट्स द्वारा पेश अपील का समर्थन करते हुये अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री खारिज कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित कर सभी सहखातेदारो का हिस्सा कायम करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा भरूडी के वर्तमान खसरा नम्बर 305, रकबा 0.94 हैक्टर, किस्म चाही उतम की वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 19 की सामलाती खातेदारी व कब्जा कास्त की आई हुई है जिसमें स्वयं की 0.1880 हैक्टर की भूमि बंट में आती है इसी मुताबिक 20 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से बंटवाडा कर दिया था प्रतिवादीगणों को कई बार बंटवाडा करने हेतु निवेदन किया लेकिन विभाजन

नही करवाया जिस पर वाद पेश किया। वाद प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगणो को समन तामिल हेतु भेजे गये, लेकिन तामिल नही होने पर दिनांक 28/04/2016 को समाचार पत्र में तलबी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जो दिनांक 19/07/2016 को स्वीकार हुआ। दिनांक 22/08/2016 को कोर्ट उपस्थित न होने पर दिनांक 01/09/2016 को वास्ते मुनासिफ आदेश रखी गई तदनुसार दिनांक 01/09/2016 को एकपक्षीय आदेश पारित कर दिनांक 30/11/2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उसके बाद दिनांक 22/03/2017 को प्रतिवादीगणो को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में किसी प्रकार की मौका विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से नही मंगवाया जाकर वादी के पक्ष में निर्णय व अंतिम डिक्री विधि के मुलभूत सिद्धान्तो के परे जाकर पारित की है। जबकि सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रतिवादीगणो को सर्वप्रथम साधारण सम्मन, उसके बाद रजिस्टर्ड डाक से सम्मन और यदि दोनो प्रकियाओ के बाद तामिल नही होता है तो अखबार में छाया करवाना आवश्यक है लेकिन ऐसा न कर सीपीसी के प्रावधानो के विपरित जाकर एकपक्षीय अंतिम डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दोनो पक्षो को उचित समय एवं सूचना दिया जाना आवश्यक था एवं दोनो पक्षकारानो को मौका रिपोर्ट या फर्द बनाते समय लिखित या मौखिक सूचना देकर फर्द बनाते, जबकि तहसीलदार मौके पर न जाकर केवल मात्र पटवारी हल्का ने वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलकर एकपक्षीय ऑफिस में बैठकर ही भू.अभि.नि. ने मौका फर्द बनाई,उस पर न तो पटवारी के हस्ताक्षर है एवं न ही तहसीलदार के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में भू. अभि.नि. द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट संदिग्ध है किसी भी पक्षकार के वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को छोडकर हस्ताक्षर नही है। दिनांक 29/06/2016 की आदेशिका में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत में बिराजने का कथन है परन्तु उक्त लोक अदालत भरूडी में हुई हो वहां पर पक्षकारान उपस्थित हुआ हो, ऐसा कोई उल्लेख आदेशिका में नही है। आदेशिका में कांट छांट कर निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने वादपत्र में 20 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विभाजन होने का कथन किया परन्तु अन्य सहखातेदार का कहा का कब्जा है वह स्पष्ट नही किया। मात्र अच्छी भूमि को हडपने की नियत से स्वयं का हिस्सा वाद पत्र में बताकर केवल मात्र वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हक हिस्सा कायम किया जाकर बाकी सहखातेदारो का संयुक्त कब्जा बताकर अंतिम डिक्री व निर्णय पारित करवाया है एवं अदालत हाजा की राय में यह मामला सामने आया है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत हाजा का समय नष्ट करने एवं जानबुझकर अदालत हाजा के आदेश की पालना न कर उपस्थित नही हो रहे है जो कि विधि के विरूद्ध है केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अमराराम अपना अलग से हिस्सा कायम कराकर अन्य सहखातेदारान का विभाजन नही करवाकर मन माने तरीके से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करवाने में कामयाब हुआ है पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि कई सह खातेदारान की मृत्यु भी हो चुकी थी न

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तो उनके वारिसान रेकर्ड पर लिये गये न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया है जिस पर अपीलान्ट्सगण को भारी नुकसान कारित हुआ है। सीपीसी के मूलभुत सिद्धान्तों से परे जाकर तनकीयात कायम नही कर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अमराराम को फायदा पहुचाने की नियत से निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है जो कि हाजा न्यायालय की राय में विधिसम्मत नही है।
परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा मुख्यालय भीनमाल के राजस्व वाद संख्या 175/2014 निर्णय दिनांक 22.03.2017 को अपास्त किया जाता है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नक्शा शेड्यूल–3 में मार्क ए, बी, सी, डी, एफ का हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अमराराम रकबा 0.1880 हैक्टर एवं मार्क बी, सी, डी, एफ पर अपीलांट 1 से 4 रकबा 0.1880 हैक्टर का हिस्सा कायम किया जाकर ~~खातेदार घोषित~~ किया जाता हे। तहसीलदार जसवंतपुरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की पालना में अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लोटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-7-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील संख्या-10/2020
भतीया बनाम अमरसिंह वगैरा

## नक्शा शेड्यूल 3




नक्शा खसरा मौजा भरूडी
तहसील जसवन्तपुरा
वर्तमान खसरा नं. 305

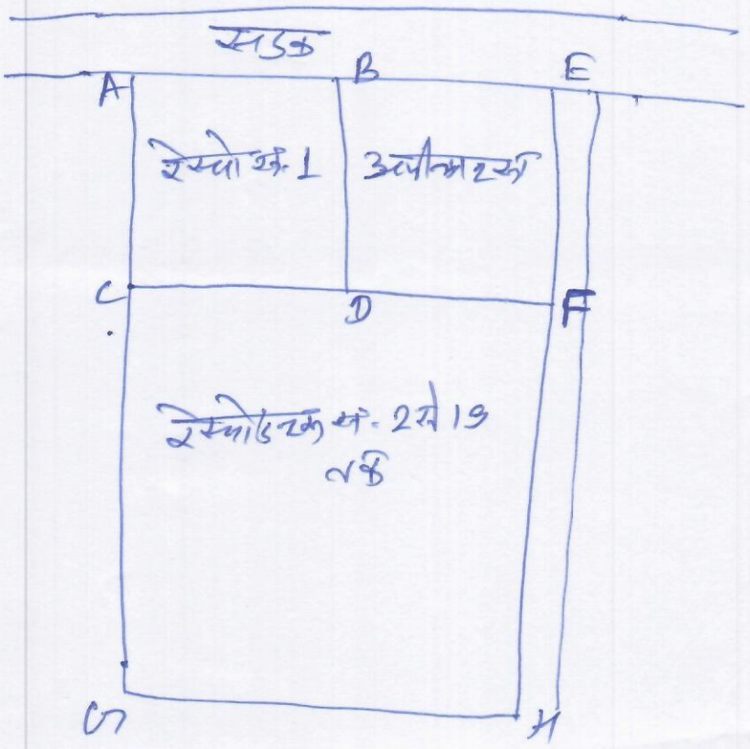




(पारसमल बोराणा)
अभिभाषक वकील

रामाराम